

Need to set up regulatory authority for online news channel portals.-laid

श्री दिलीप शङ्कीया (दारंग-उदालगुड़ी) : प्रेस, मीडिया हमारे गणतंत्र का चौथा स्तम्भ है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश और दुनिया की विभिन्न खबरों को देश के नागरिकों तक विश्वसनीयता के साथ पहुँचाना है, लेकिन आज के डिजिटल युग में बहुत से स्थानीय ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़ चैनलों की बाढ़ सी आ गई है। इनमें से बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल चैनलों के द्वारा लोगों को झूठी और बिना विश्वसनीयता की खबरों को पहुँचाया जा रहा है। असम समेत देश के लगभग सभी राज्यों में इस तरह के बहुत सारे स्थानीय ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़ चैनलों को एक व्यवसाय के रूप में भी चलाया जा रहा है और इन चैनलों के संवाददाताओं द्वारा पत्रकारिता की सभी सीमाओं को लांघकर लोगों तक गलत और तथ्यहीन खबरों को पहुँचाया जा रहा है। साथ ही कुछ ऐसी झूठी खबरों को फैला कर ब्लैकमैलिंग के भी काफी सारे उदहारण सामने आये हैं। कई बार ऐसी खबरों से देश की छवि और सुरक्षा को भी गहरा खतरा पैदा हो जाता है। कुछ मामलों में तो इनके द्वारा बनाये गए फेक नैरेटिव और झूठी खबरों से पीड़ित व्यक्ति आत्महत्या तक करने को मजबूर हुए हैं। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि ऐसे स्थानीय ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़ चैनलों पर अंकुश लगाने हेतु एक रेगुलेशन अथॉरिटी की स्थापना की जाए।